LT-5277/73

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II SECTION 3(i)
AS G.S.R.NO. 617, DATED 9.6.1973.

Government of India
Ministry of Steel and Mines
Department of Mines

New Delhi the 21st May, 1973

N_O_T_I_F_I_C_A_T_I_O_N

G.S.R. 617 In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(A) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely, -

"5. Period for which certificate of approval is valid.

(1) A certificate of approval granted for one year shall be valid upto the 31st day of December of the year in which it is granted:

Provided that if any such certificate is granted in the last quarter of a year, it shall be valid upto the 31st day of December of the year next following.";

Contd....2/-

ET 52273

(2) A certificate of approval granted for three years shall be valid upto the 31st day of the December of the second year following the year in which it is granted:

Provided that if any such certificate is granted in the last quarter of a year, it shall be valid upto the 31st day of December of the second year following the year in which it is granted.";

(b) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely, -

"7. Period for which renewed certificate of approval is valid, -

A certificate of approval, when renewed -

i) for one year, shall be valid for a period of one year.

ii) for three years, shall be valid for a period of three years, commencing from the date of the expiry of the certificate."

Sd/- J.L. TANDON
Under Secretary to the Government of India
No. 1/34/71-M.6

LT-5277/73

(भारत के राजपत्र तारीख 9 जून, 1973 के भाग-2 खण्ड 3(i) में प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 1973

अधिसूचना

सा0का0नि0 617: खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है :-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (तृतीय संशोधन) नियम 1973 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में -

(क) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5. अवधि जिसके लिए अनुमोदन प्रमाण-पत्र विधिमान्य है ।

(1) एक वर्ष के लिए अनुदत्त अनुमोदन प्रमाण-पत्र उस वर्ष के, जिस में वह अनुदत्त किया गया हो, दिसम्बर के 31 वें दिन तक विधिमान्य होगा : परन्तु यदि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में अनुदत्त किया गया हो तो वह ठीक आगामी वर्ष के दिसम्बर के 31 वें दिन तक विधिमान्य होगा ।

(2) तीन वर्षों के लिए अनुदत्त अनुमोदन प्रमाण-पत्र उस वर्ष के, जिसमें वह अनुदत्त किया गया हो, अगले द्वितीय वर्ष के दिसम्बर के 31 वें दिन तक विधिमान्य होगा : परन्तु यदि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में अनुदत्त किया गया हो तो वह अनुदत्त किए गए वर्ष के अगले तृतीय वर्ष के दिसम्बर

--/

के 31 वें दिन तक विधिमान्य होगा :

(ख) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. अवधि जिसके लिए नवीकृत अनुमोदन प्रमाण-पत्र विधिमान्य है -

कोई अनुमोदन प्रमाण-पत्र जब -

(I) एक वर्ष के लिए नवीकृत क्या जाता है तब वह प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ,

(II) तीन वर्षों के लिए नवीकृत किया जाता है तब वह प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।"

ह0/-

(जगमोहन लाल टण्डन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सं0 1/34/71-खान-6

सेवा में,

महाप्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय ,

नई दिल्ली ।